JALAUN POLICE

दिनांक – 06.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अवगत कराना है कि जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मान0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा वर्ष 2025 में अब तक कुल 295 अभियोगों में अधिक से अधिक सजा सुनाते हुए 57,90,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिसमें से 24 अभियोगों में मा0 न्यायालय द्वारा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर 41 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।

माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजाओं का विवरण-

1. वर्ष 2025 में कुल 24 अभियोगों में 41 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 18,33,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2. वर्ष 2025 में महिला/बालिकाओं(पॉक्सो) सम्बंधी अभियोगों में कुल 45 अभियोगों में 55 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा व 25,02,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3. वर्ष 2025 में चिन्हित सनसनीखेज(हत्या, लूट, डकैती, एनडीपीएस, गैंगस्टर, गोवध, चोरी, नकबजनी, एससी/एसटी एक्ट इत्यादि से सम्बंधित) कुल 146 अभियोगों में 219 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा सुनाते हुए 30,72,350/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
4. वर्ष 2025 में अन्य प्रकरणों में कुल 104 अभियोगों में 128 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा सुनाते हुए 2,15,650/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

बीएनएस के तहत हुई आजीवन कारावास की सजाओं का विवरण-

1. थाना कुठौन्द क्षेत्रान्तर्गत 06 वर्षीय बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को करीब 03 माह में आजीवन कारावास एवं 5,00,000/- रूपये(पांच लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुये बीएनएस के तहत जनपद की पहली व प्रदेश की दूसरी सजा करवायी गयी।
2. थाना कैलिया क्षेत्रान्तर्गत 05 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की घटना के अभियुक्त को अभियोग पंजीकृत कर मात्र 08 दिवस में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित करते हुए मात्र 46 दिन में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 2,00,000/- रूपये(दो लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3. कोतवाली कोंच क्षेत्रान्तर्गत 12 वर्षीय बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1,15,000/- रूपये(एक लाख पन्द्रह हजार रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।